

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 11-11-2025

क्रमांक 2/29/WCD/8/24/0001/2025/50-2: राज्य शासन एतद द्वारा मंत्रिपरिषद आदेश आयटम क्रमांक 5 दिनांक 10.11.2025 अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत सहायता की कंडिका 6.1 एवं 6.2 में राशि रूपये 1250/- के स्थान पर रूपये 1500/- तथा योजना अंतर्गत अपात्रता की कंडिका 4.4 में राशि रूपये 1000/- के स्थान पर रूपये 1500/- प्रतिस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मार्धवी नागेन्द्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्र.2/28/WCD/8/24/0001/2025/50-2 भोपाल, दिनांक 11-11-2025
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. उप सचिव, मुख्य सचिव (समन्वय) मध्यप्रदेश शासन।
4. उप सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग